

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/961/2018, लखनऊ, दिनांक : 01 जून- 2018,

-:: आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह जून- 2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र० सं० 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05
1-	पीठ-1 कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4. कानपुर	18.06.18 से 23.06.18	पीठ-1, कानपुर (न्याय0) व पीठ-2, कानपुर (वि0)
2-	पीठ-1 गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	18.06.18 से 23.06.18	पीठ-1, गाजियाबाद (न्याय0) व पीठ-2, गाजियाबाद (वि0)
3-	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	18.06.18 से 23.06.18	पीठ-1 नोएडा (न्याय0) व पीठ-2 नोएडा (वि0)

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/961/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

प्रभारी निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।